हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

बारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 120

सोमवार, 22 अगस्त, 2016/31 श्रावण, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 2.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

2-01-00 PM

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा।

"मौनसून सत्र में भाग लेने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी माननीय सदस्यों से मेरा यह निवेदन रहेगा कि इस सदन की कार्यवाही को सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाने में मुझे सहयोग दें। मेरा यह भरसक प्रयास रहेगा कि सभी माननीय सदस्यों को सदन में नियमों की परिधि में रह कर अपनी-अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर मिले, वहीं मैं सरकार से भी यह अपेक्षा करूंगा कि वह माननीय सदस्यों द्वारा चाही गई सूचनाओं का उत्तर पूर्णतः दें।"

(राष्ट्रीय गान गाया गया)

2-05-00 PM

1. **शोकोद्‌गारः**

निम्नलिखित ने मेज़र जनरल बिक्रम सिंह, श्री बिक्रम महाजन,पूर्व सांसद, श्री बाबू राम मण्डयाल, श्री कुलदीप सिंह एवं श्री सीता राम, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किएः-

1. श्री वीरभद्र सिंह, माननीय मुख्य मन्त्री
2. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष
3. श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री
4. श्री महेश्वर सिंह
5. श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री
6. श्री कुलदीप कुमार
7. श्री रणधीर शर्मा
8. श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री
9. श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिव
10. श्री राकेश कालिया
11. श्री रिखी राम कौंडल
12. श्री अजय महाजन
13. श्री विजय अग्निहोत्री
14. माननीय अध्यक्ष

(**दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन में कुछ क्षण खड़े होकर मौन रखा गया**)

3-20-00 PM

शोकोद्‌गार के तुरन्त बाद विपक्ष के मुख्य सचेतक, श्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 4 अगस्त का दिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। उस दिन स्वर्गीय डा0वाई0एस0 परमार जी का जन्म दिन होता है। प्रदेश के मुख्य मन्त्री समाचार-पत्रों और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में उस दिन बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक-दो सदस्यों को छोड़कर बाकी सदस्य सदन में आने लायक नहीं है, इनको म्युनिसिपल कमेटी में नौकरी की दरख्वास्त देनी चाहिए। गन्दगी उछालने वाले भाजपा नेता। इस तरह से माननीय मुख्य मन्त्री ने चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान किया है। यह जनता के मेनडेट का अपमान है और साथ-ही-साथ ये जो सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, दलित कर्मचारी हैं, यह दलितों का भी अपमान है। यह हमें उनके साथ कमपेयर करते हैं और उनको हीन दिखाना चाहते हैं। ये दलित विरोधी हैं और साथ-ही-साथ ये डेमोक्रेसी के भी एन्टी हैं। हमारे इस विषय पर दिए गए प्रिवीलेज मोशन को प्रिवलेज कमेटी को भेजा जाए ताकि उस पर पूरी तरह से छानबीन हो सके। प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने भी इनकी इस बात का समर्थन किया।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित निर्णय दिया :-

आपने मुझे इस विषय पर नोटिस दिया है। जब तक मैं इस पर कोई निर्णय नहीं लेता हूं, सदन में इस बात को उठाने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही माननीय मुख्य मन्त्री ने सदन को सूचित किया कि मैं श्री सुरेश भारद्वाज, सदस्य द्वारा उठाए गए विषय का खण्डन करता हूं। मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। This is concocted story.

(अपराह्न 3.34 बजे असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉक आऊट किया)

2. <u>प्रश्नोत्तर</u>:

(1) **तारांकित प्रश्न :**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2111, 2298, 2657, 2685, 2933 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3301 से 3337 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए समझे गए तथा आज की कार्यवाही का हिस्सा बने।

(2) **अतारांकित प्रश्न :**

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 698, 1281 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1380 से 1400 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए समझे गए तथा आज की कार्यवाही का हिस्सा बने।

(अपराह्न 3.36 बजे विपक्ष सदन में पुनः उपस्थित हुआ)

3. <u>साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य</u> :

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने सोमवार, 22 अगस्त, 2016 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

4. <u>स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर</u> ः

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

1. हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 4);
2. मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 5);
3. हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 6);
4. हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 7);
5. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 8);
6. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 9); और
7. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 10);

5. <u>कागजात सभा पटल पर</u> ः

(1) **सचिव**, विधान सभा ने संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन के लिए लोक सभा के महासचिव से प्राप्त पत्र संख्याः 1/6(15)/2014/एल-1 दिनांक 11 अगस्त, 2016 के साथ प्राप्त दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (सैकेंड अमेंडमेंट),रूल्ज, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः का0(नि-4)-ए(3)-1/2012-II दिनांक 30.06.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.07.2016 को प्रकाशित;

(2) आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1909 (1909 का केन्द्रीय अधिनियम-7) की धारा 6 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएस0जे0ई0-ए-ए(3)-3/2014 दिनांक 29.06.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.06.2016 को प्रकाशित;

(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग,संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-राजभाषा), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम,2016 जोकि अधिसूचना संख्याः कार्मिक(नियुक्ति-IV)-ए(1)-01/2015 दिनांक 23.04.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.04.2016 को प्रकाशित;

(4) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय संवाएं) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-7/2010-I दिनांक 08.06.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.06.2016 को प्रकाशित; और

(5) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति(चतुर्थ संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-2/2012-I दिनांक 16.06.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.06.2016 को प्रकाशित।

(3) **श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, वन मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, सहायक निदेशक मत्स्य, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःफिश-ए(3)-2/2014 दिनांक 06.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.05.2016 को प्रकाशित;

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, फार्म सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः फिश-ए(3)-1/2016 दिनांक 01.07.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.07.2016 को प्रकाशित; और

(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य क्षेत्रीय सहायक, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः फिश-ए(3)-5/2004-II दिनांक 11.07.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.07.2016 को प्रकाशित।

6. <u>अध्यादेश</u>ः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 18.06.2016 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 2**) की प्रति, उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा-पटल पर रखी।

(2) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 04.06.2016 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश**

संख्यांक 1) की प्रति, उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा-पटल पर रखी।

3-40-00 PM

7. **विधायी कार्यः**

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री सुजान सिह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 13) पुरःस्थापित हुआ।

8. **सरकारी संकल्पः**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन भारत के संविधान में संशोधन हेतु, संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड 2 के परन्तुक के खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित, **संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014** का अनुसमर्थन करता है।

प्रस्ताव स्वीकार।

संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।

अपराह्न 03.45 बजे सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई ।